श्रीलोकनाथ बाबा बिल्डर पर रेरा ने ठोका 29 लाख जुर्माना

राज्य ब्यूरो, पटना : रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने बगैर निबंधन परियोजना के प्रचार-प्रसार और निर्माण कराने वाले बिल्डर पर मंगलवार को 29 लाख रुपये जुर्माना का ठोका है। रेरा बिहार के इतिहास में निबंधन नहीं कराने के मामले में यह पहली सबसे बड़ी कार्रवाई है। श्री लोक नाथ बाबा होम्स प्राइवेट लिमिटेड के सर्वयोनी सिटी, लखनी बीघा, दानापुर, वृंदावन सिटी और अविगना प्रोजेक्ट पर रेरा ने जुर्माना लगाया है।

महत्वपूर्ण यह है कि रेरा के सदस्य आरबीर सिन्हा और एसबी सिन्हा की सुनवाई के दौरान बिल्डर के दो वकील और सीए उचित जवाब तक प्रस्तुत नहीं कर पाए। दरअसल, रेरा ने श्री लोकनाथ बाबा बिल्डर को निबंधन नहीं कराने के मामले में नोटिस दिया था। बिल्डर पर 20 करोड़ रुपये से अधिक प्रोजेक्ट में दर्जनों फ्लैट बुकिंग करने के बावजूद रेरा में निबंधन नहीं कराने पुष्टि होने पर कार्रवाई की गई है।

बिल्डर की मनमानी के खिलाफ रेरा ने खुद लिया संज्ञान, बगैर निबंधन परियोजना का प्रचार-प्रसार और बुकिंग करने का था मामला

बिल्डर द्वारा निर्माणाधीन परियोजना में फर्जीवाड़ा करने की भी पुष्टि हुई है। रेरा ने निबंधन कराने की चेतावनी दी लेकिन बिल्डर निबंधन कराने के बजाए रिकॉर्ड में हेराफेरी करता रहा। और तो और 20 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना को महज तीन-चार करोड़ रुपये का दिखाकर बगैर जुर्माना निबंधन के लिए दबाव भी बना रहा था। कंपनी के निदेशक रोहित कुमार पर आरोप है कि उसने कई बार रेरा को गुमराह करने की भी प्रयास किया। रसूखदारों का धौंस दिखाकर जुर्माना राशि भी कम करने का दबाव बना रहा था लेकिन रेरा की जांच में पोलखोल के बाद यह कार्रवाई की गई है।

Scanned by CamScanner